

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक/मु0) चौमूं, जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी :-कनक जैन (R.A.S.)

मुकदमा नं0:-02/2024

उनवान

रामस्वरुप पुत्र श्री मोहन लाल जाट, उम्र वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम अमरपुरा,
तहसील चौमूं, जिला जयपुर, राजस्थान।

-वादी-

बनाम

1. फूली देवी पत्नी श्री छीतर मल जाट, जाति जाट, निवासी ग्राम नांगलभरडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर, राजस्थान।
2. ग्यारसी लाल पुत्र श्री मोहन लाल, जाति जाट, निवासी ग्राम अमरपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर, राजस्थान।
3. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयन कार्यालय खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

-प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक :-25.09.2024

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी को सुना गया। वकील वादी द्वारा वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री के अनुसार आए कुर्रैजात रिपोर्ट दिनांकित 10.09.2024 के अनुसार वादपत्र को अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। पत्रावली में सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया। वादपत्र तकासमा का है व खातेदारों का रिकॉर्ड व मौके के अनुसार तकासमा किया जाना है। अतः मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट दिनांक 10.09.2024 वाद को अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं विवादग्रस्त भूमि वाके ग्राम नांगल भरडा, पटवार हल्का नांगल भरडा, भू अभि0 नि0 क्षेत्र नांगल भरडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के खाता सं0 686 के खसरा नं0 1855 रकबा 0.72 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.72 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा निम्नानुसार किया जाता है:-

1. ग्यारसीलाल पुत्र मोहन लाल हिस्सा 1/2, जाति जाट, सा0 अमरपुरा खातेदार, रामस्वरुप पुत्र मोहन लाल हिस्सा 1/2, जाति जाट, सा0 अमरपुरा खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 1855/2 रकबा 0.2800 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.2800 हैक्टेयर भूमि जो नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शाई गई है, प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
2. फूली देवी पत्नी छीतर मल हिस्सा सम्पूर्ण, जाति जाट, सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 1855/1 रकबा 0.4400 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.4400

महायक
(फास्ट ट्रैक)
चौमूं (जयपुर)

मु0सं0-02/2024
उनवान-रामस्वरुप बनाम फूली देवी वगै0
निर्णय दिनांक:-25.09.2024

हैक्टेयर भूमि जो नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शाई गई है, प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

अंतिम डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा डिक्री व निर्णय का जुज रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 25.09.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफतर हो।

म न
सहायक क्लर्क
(फाउण्डेशन मु0)
बौमू (जयपुर)



डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक/मु0) चौमूं, जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी :-कनक जैन (R.A.S.)

उनवान

रामस्वरुप पुत्र श्री मोहन लाल जाट, उम्र वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम अमरपुरा,
तहसील चौमूं, जिला जयपुर, राजस्थान।

-वादी-

बनाम

1. फूली देवी पत्नी श्री छीतर मल जाट, जाति जाट, निवासी ग्राम नांगलभरड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर, राजस्थान।
2. ग्यारसी लाल पुत्र श्री मोहन लाल, जाति जाट, निवासी ग्राम अमरपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर, राजस्थान।
3. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयन कार्यालय खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

-प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा


अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर :-02 / 2024

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रुबरु हाजरी वकील वादी मिनजामिन मुददई रुबरु कनक जैन आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

विवादित भूमि वाके ग्राम नांगल भरड़ा, पटवार हल्का नांगल भरड़ा, भू अभि0 नि0 क्षेत्र नांगल भरड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के खाता सं0 686 के खसरा नं0 1855 रकबा 0.72 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.72 हैक्टेयर भूमि का मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट दिनांक 10.09.2024 के अनुसार निम्न प्रकार से बंटवारा किया जाता है:-

1. ग्यारसीलाल पुत्र मोहन लाल हिस्सा 1/2, जाति जाट, सा0 अमरपुरा खातेदार, रामस्वरुप पुत्र मोहन लाल हिस्सा 1/2, जाति जाट, सा0 अमरपुरा खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 1855/2 रकबा 0.2800 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.2800 हैक्टेयर भूमि जो नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शाई गई है, प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
2. फूली देवी पत्नी छीतर मल हिस्सा सम्पूर्ण, जाति जाट, सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 1855/1 रकबा 0.4400 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.4400 हैक्टेयर भूमि जो नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शाई गई है, प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।


सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)
चौमूं (जयपुर)

निजीमबलिक बाबतखर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह
..... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक को अदा
करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 25.09.2024 को जारी किया गया ।

मोहर

दस्तखत
सहायक कलकत्ता
ओहदा.....(फास्ट ट्रेक)
चौमूँ (जायपुर)

वाद के खर्चे

| वादी | | प्रतिवादी | |
|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
| | रुपया | | रुपया |
| 1. स्टाम्प अर्जी दावा | 4 | 1. स्टाम्प अर्जी दावा | 0 |
| 2. स्टाम्प वकालतनामा | 2 | 2. स्टाम्प वकालतनामा | |
| 3. स्टाम्प वजह सबूत | | 3. महन्ताना वकील | |
| 4. महन्ताना वकील | | 4. खर्चा गवाहन | |
| 5. खर्चा गवाहन | | 5. फीस कमिश्नर | |
| 6. फीस कमिश्नर | | 6.बाबत इजराय | |
| 7.बाबत इजराय | | हुक्मनामा | |
| हुक्मनामा | | 7.मुतफरिक | |
| 8.मुतफरिक | | जोड़ | 0 |
| जोड़ | 6 | | |

.....
सहायक कलकत्ता
(फास्ट ट्रेक)
चौमूँ (जायपुर)